प्रथम आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

फिरोजाबाद
मिर्जापुर
संतरविदासनगर
गोरखपुर

सेवा मे,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
(पार्श्वांकित जनपदों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1/शा0/5 /2011–1/3/2011 : लखनऊः दिनांक–15 अप्रैल, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –101–पंचायती राज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401– सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1107/33–3–11–100 (41)/2010, दिनांक– 08 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 3887221833/– (₹ तीन अरब अठासी करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसें व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

2– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाये।

कृ0पृ0उ0

4— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0—4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0—4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5— आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0—4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

6— यदि बी0एम0—4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

7— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें. अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

9— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी। यह भी सुनिश्चत किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

10— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और समय—समय पर भविष्य में जो जारी किये गये, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

11— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—901/दस— 2011—231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12— शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934/दस—2008—मित—1—2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

13— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—101—पंचायती राज—14—पंचायतीराज संस्थायें—1401—सफाई कर्मचारी के नामे डाला जायेगा।

कृ0पृ0उ0

पत्र संख्या–1/शा0/5/2011–1/3/2011 दिनांक 15 अप्रैल 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–14) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायतीराज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

आयोजनागत (धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	(01 वेतन)	(03 मंहगाई भत्ता)	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का आवंटित धनराशि का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	16438903	7397506	1479501	25315910	25315910
2	बागपत	8360085	3762038	752407	12874530	12874530
3	गाजियाबाद	16973842	7638228	1527645	26139715	26139715
4	गौतमबुद्धनगर	8528294	3837732	767546	13133572	13133572
5	बुलन्दशहर	30936505	13921427	2784285	47642217	47642217
6	सहारनपुर	43120224	19404100	3880820	66405144	66405144
7	मुजफ्फरनगर	23749320	10687194	2137438	36573952	36573952
8	आगरा	25788275	11604723	2320944	39713942	39713942
9	अलीगढ़	27987452	12594353	2518870	43100675	43100675
10	हाथरस	18054516	8124532	1624906	27803954	27803954
11	एटा	23337436	10501846	2100369	35939651	35939651
12	मैनपुरी	19603444	8821549	1764309	30189302	30189302
13	मथुरा	24454936	11004721	2200944	37660601	37660601
14	फिरोजाबाद	0	0	0	0	0
15	बरेली	52257338	23515802	4703160	80476300	80476300
16	बदायू	50136384	22561372	4512274	77210030	77210030
17	पीलीभीत	36447999	16401599	3280319	56129917	56129917
18	शाहजहांपुर	59182604	26632171	5326434	91141209	91141209
19	मुरादाबाद	49752036	22388416	4477683	76618135	76618135
20	ज्योतिबाफूलेनगर	29933269	13469971	2693994	46097234	46097234
21	रामपुर	3111690	1400260	280052	4792002	4792002
22	बिजनौर	80632609	36284674	7256934	124174217	124174217
23	लखनऊ	21469356	9661210	1932242	33062808	33062808
24	रायबरेली	35530529	15988738	3197747	54717014	54717014
25	हरदोई	56264196	25318888	5063777	86646861	86646861
26	उन्नाव	47968188	21585684	4317136	73871008	73871008
27	सीतापुर	34146697	15366013	3073202	52585912	52585912
28	खीरी	45115672	20302052	4060410	69478134	69478134
29	फैजाबाद	31700577	14265259	2853051	48818887	48818887
30	अम्बेडकर नगर	42355728	19060077	3812015	65227820	65227820
31	सुल्तानपुर	47196915	21238611	4247722	72683248	72683248
32	बाराबंकी	47165039	21224267	4244853	72634159	72634159
33	गोण्डा	48277185	21724733	4344946	74346864	74346864
34	बलरामपुर	27422168	12339975	2467995	42230138	42230138
35	बहराइच	38471905	17312357	3462471	59246733	59246733
36	श्रावस्ती	14250446	6412700	1282540	21945686	21945686
37	इलाहाबाद	81640176	36738079	7347615	125725870	125725870
38	कौशाम्बी	23495460	10572957	2114591	36183008	36183008
39	फतेहपुर	39164634	17624085	3524817	60313536	60313536
40	प्रतापगढ़	58193815	26187216	5237443	89618474	89618474
41	वाराणसी	34564385	15553973	3110794	53229152	53229152

पत्र संख्या–1/शा0/5/2011–1/3/2011 दिनांक 15 अप्रैल 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011–12

(अनुदान संख्या–14) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायतीराज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

आयोजनागत

(धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	(01 वेतन)	(03 मंहगाई भत्ता)	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का आवंटित धनराशि का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
42	चन्दौली	43733864	19680238	3936047	**67350149**	**67350149**
43	गाजीपुर	91502664	41176198	8235239	**140914101**	**140914101**
44	जौनपुर	89619020	40328559	8065711	**138013290**	**138013290**
45	मिर्जापुर	0	0	0	**0**	**0**
46	सोनभद्र	37386713	16824020	3364804	**57575537**	**57575537**
47	संतरविदासनगर	0	0	0	**0**	**0**
48	हमीरपुर	16155948	7270176	1454035	**24880159**	**24880159**
49	बांदा	20205808	9092613	1818522	**31116943**	**31116943**
50	चित्रकूट	16422940	7390323	1478064	**25291327**	**25291327**
51	महोबा	13306215	5987796	1197559	**20491570**	**20491570**
52	गोरखपुर	0	0	0	**0**	**0**
53	महाराज गंज	34230054	15403524	3080704	**52714282**	**52714282**
54	देवरिया	24410505	10984727	2196945	**37592177**	**37592177**
55	कुशीनगर	44801616	20160727	4032145	**68994488**	**68994488**
56	बस्ती	92520928	41634417	8326883	**142482228**	**142482228**
57	सन्त कबीर न0	45340525	20403236	4080647	**69824408**	**69824408**
58	सिद्धार्थ नगर	56841492	25578671	5115734	**87535897**	**87535897**
59	आजमगढ़	115145686	51815558	10363111	**177324355**	**177324355**
60	मऊ	39040841	17568378	3513675	**60122894**	**60122894**
61	बलिया	64364419	28963988	5792797	**99121204**	**99121204**
62	कानपुर नगर	27590883	12415897	2483179	**42489959**	**42489959**
63	रमाबाई नगर	24680377	11106169	2221233	**38007779**	**38007779**
64	फर्रूखाबाद	27371800	12317310	2463462	**42152572**	**42152572**
65	कन्नौज	17296029	7783213	1556642	**26635884**	**26635884**
66	इटावा	17485397	7868428	1573685	**26927510**	**26927510**
67	औरैया	22070405	9931682	1986336	**33988423**	**33988423**
68	झांसी	22057552	9925898	1985179	**33968629**	**33968629**
69	ललितपुर	20478123	9215155	1843031	**31536309**	**31536309**
70	जालौन	29984287	13492929	2698585	**46175801**	**46175801**
71	कांशीरामनगर	15576444	7009399	1401879	**23987722**	**23987722**
72	छत्रप्रति शाहूजी महराज नगर	31369296	14116183	2823236	**48308715**	**48308715**
	योग	**2524170063**	**1135876500**	**227175270**	**3887221833**	

(₹ तीन अरब अठासी करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

14— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।
2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—9—2011 तक
3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2012 तक
4— वर्ष 2011—12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5—2—2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0—52 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ /1 /2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
2— अनुसचिव, पंचायतीराज अनुभाग—3,उत्तर प्रदेश शासन।
3— सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—1, उ0प्र0 शासन।
5— महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
6— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
7—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8— सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
9— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।